



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1041]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934

No. 1041]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

का.आ. 1257(अ).—नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य देश के एक पृथक बायोटिक क्षेत्र के

अंतर्गत आता है और भारतीय शुष्क क्षेत्र के एक अभिन्न जीन पूल का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रचुर चरागाह, कच्छ वनस्पति के घने वनों वाले तटीय क्षेत्र, तट रेखा के कारण आंशिक नमभूमि तथा विभिन्न आकारों की लगभग 45 लेन्टिक नमभूमियां हैं और इसमें कई दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियां जैसे कि चिंकारा, काराकल, भेड़िया, तेंदुआ, साण्डा, रेगिस्तानी बिल्ली, ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, हौवारा बस्टर्ड इत्यादि पाई जाती हैं ;

और यह अभयारण्य खनिज संपदा में साक्षेप रूप से बहुत समृद्ध है । यहां मुख्यतः चूना, लिग्नाइट, वेन्टोनाईट और बॉक्साइड खनिज पाए जाते हैं; पारिस्थितिकी संवेदनशील

और नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के रूप में संरक्षण और सुरक्षा किया जाना आवश्यक है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 उप-धारा (2) के खंड (V) और खंड (XIV) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रारूप अधिसूचना जो पर्यावरण और वन मंत्रालय,

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 1265 (अ) तारीख 1 जून, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की राजपत्र प्रतियां जनता को 1 जून, 2011 को उपलब्ध कराई गई थीं ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) तथा, खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर परिवद्ध नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 2.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन (जिसको इसमें इसके पश्चात नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है ।

1. नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमाएं -

- (क) नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य देश के सर्वाधिक पश्चिमी भाग में स्थित है । यह 23° 27' उत्तरी अक्षांश से 23° 42' उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68° 30' पूर्वी देशांतर से 68° 57' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है । प्रशासनिक तौर पर यह अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है । यह अभयारण्य उत्तर पूर्व में कोरि-संकरी खाड़ी और पश्चिम में कच्छ वनस्पति के वनों से घिरा है तथा इसकी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं में कोई प्रमुख भू-विशिष्टता नहीं देखी गई है ।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का परिधीय क्षेत्र लगभग 22588.00 हेक्टेयर है जिसमें कच्छ जिले के लखपत तालुका के 28 गांव, नखतरन तालुका का एक गांव तथा अब्दासा तालुका के दो गांव

शामिल हैं। 22588.00 हेक्टेयर क्षेत्र में से 8531.00 हेक्टेयर क्षेत्र में वन भूमि है तथा 14057.00 हेक्टेयर क्षेत्र में वन भूमि नहीं है।

(ग) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की त्रिज्या की रेंज सभी दिशाओं पर 0-2.5 किलोमीटर है तथा संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की औसत दूरी 1.5 किमी. है।

(घ) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन को अभयारण्य की बाह्य सीमा से 2.5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र के भीतर निम्नवत दो उप जोनों में विभाजित किया गया है :

उप जोन-क : यह बफर जोन के अंदर 2.5 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें अभयारण्य क्षेत्र की ओर जल निकासी मार्ग तथा चट्टाने सापेक्ष रूप से भेद्य हैं। इस प्रकार, एक ओर यह उपजोन अभयारण्य में विभिन्न जल मार्गों या जल निकायों के कैचमेंट क्षेत्र का भाग होगा और दूसरी ओर सापेक्ष रूप से भेद्य स्वरूप की चट्टानों के कारण जल जनित प्रदूषणकारी भू-जल को और अधिक प्रभावित करेंगे।

उप जोन-ख : इस क्षेत्र में जल निकासी मार्ग अभयारण्य क्षेत्र से बाहर की ओर जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की चट्टाने सापेक्ष रूप से अभेद्य हैं।

(ङ) नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य और नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का मानचित्र और सीमावर्ती भूमंडलीय स्थितीय प्रणाली बिंदु इस अधिसूचना के साथ उपाबंध-I के रूप में संलग्न है तथा नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के अंदर आने वाले गांवों की सूची उपाबंध-II के रूप में संलग्न है।

2. नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान -

(1) नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा, जो तत्समय प्रवृत्त नगर एवं ग्राम योजना से संबंधित विधि, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), राज्य में विनिर्दिष्ट की गई है, प्रभागीय कार्य योजनाएं

और केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाएंगे जो कि इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(2) जोनल मास्टर प्लान सभी संबंधित राज्य विभागों जैसे कि पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्यक सहभागिता से, इनमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से, तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर प्लान में, वृक्षहीन क्षेत्र को प्रत्यावर्तित करने, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, वाटर शेड प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मिट्टी और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की जरूरतों और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के उन अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान देना जरूरी है ।

(4) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान पूजा स्थानों, गांवों, बस्तियों, वनों के प्रकारों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्रों, उद्यान क्षेत्रों, आर्किड, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा निर्धारित करेगा ।

(5) हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे चाय बागानों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी । तथापि विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के कारण उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अत्यधिक सीमित मात्रा में कृषि भूमि के भू-उपयोग को बदलने की अनुमति दी जा सकती है ।

(6) 5000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी पर्यावास क्षेत्रों में क्षेत्र विकास योजना होंगी और उसे स्थानीय स्व-शासन के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा ।

(7) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन होने तक सभी नए संनिर्माणों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों को इस अधिसूचना के पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अनुसार निगरानी समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजा जाएगा ।

(8) हरित क्षेत्र जैसे कि वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि को पारिणामिक रूप से कम नहीं किया जाएगा और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों पुनः वन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(9) जोनल मास्टर प्लान निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा जिसे वह अपने द्वारा किए जाने वाले किसी विनिश्चय के लिए उपयोग कर सकेगी ।

(10) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें, यदि आवश्यक समझें तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकती हैं ।

3. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में प्रतिषिद्ध, विनियमित और अनुज्ञात क्रियाकलाप.- नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53); वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे । इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में कार्यकलाप, इस अधिसूचना से उपाबंध 3 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(1) औद्योगिक इकाइयां :

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् अभयारण्य की परिधि के 500 मीटर के अंदर कोई नया औद्योगिक विकास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में किसी प्रदूषणकारी उद्योग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में 500 मीटर की परिधि के बाहर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों पर न्यूनतम 50 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की व्यवस्था के साथ विचार किया जाएगा।

(ग) यदि पारि-संवेदनशील जोन 2.5 किलोमीटर से कम हो तो उद्योग, यदि अनुज्ञात है, को 50 मीटर चौड़ी मीटर निगरानी पट्टी और 200 मीटर चौड़ी हरित पट्टी सहित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे तथा 250 मीटर चौड़े कोई कार्यकलाप नहीं जोन का 500 मीटर पारि-संवेदनशील क्षेत्र में रखरखाव किया जाएगा।

(2) **उत्खनन और खनन:** एसएलपी 13658/1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 7 मई, 2010 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य की बाह्य सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में कोई खनन या पिसाई कार्य अनुज्ञात नहीं होगा।

(3) **वृक्ष:** वन में वृक्षों की कटाई, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना या प्रबंध योजना के अनुसार होनी चाहिए और निजी या राजस्व भूमि पर कटाई राज्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञात की जा सकेगी।

(4) **पर्यटन:** पर्यटन गतिविधियों को पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें कि पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर जोर दिया जाएगा और जो पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा वह जोनल मास्टर प्लान का एक संघटक होगी।

(5) भूजल :

- (क) भूमि के अधिभोगी को, खेती और घरेलू खपत के लिए भू-जल को निकालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
- (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल को निकालने के लिए राज्य भू-जल बोर्ड से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी जिसके अंतर्गत भू-जल की ऐसी मात्रा भी है जो उसमें से निकाली जा सकती है ।
- (ग) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि गतिविधियों से संदूषण या प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे ।

(6) प्लास्टिक का उपयोग : कोई भी व्यक्ति पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करेगा और प्लास्टिक की वस्तुओं का निस्तारण कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ।

(7) ध्वनि प्रदूषण : पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग गुजरात को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ध्वनि-नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने और जारी करने का प्राधिकार होगा ।

(8) बहिस्स्रावों का निस्सारण : पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में या भूमि पर अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्साव का निस्तारण किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुरूप अभिक्रियित बहिस्साव होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट : (क) ठोस अपशिष्ट का व्ययन केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) (i) स्थानीय प्राधिकारी जैव अवक्रमणीय और गैर जैव अवक्रमणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव अवक्रमणीय सामग्री का अधिमानी रूप से : कम्पोस्टिंग और वर्मी कल्चर के माध्यम से पुनःचक्रण किया जाएगा।

(iii) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति से निस्तारण किया जाएगा; और

(iv) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्मीकरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(10) **प्राकृतिक झरने** : सभी झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा सूख चुके झरनों को उनके प्राकृतिक रूप में संरक्षण और पुनर्जीवित करने की योजना को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर या उनके आस-पास विकास के क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी।

(11) **जागरूकता** : राज्य पर्यावरण और वन विभाग पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आने वाले प्रत्येक गांव में वन्यजीव अभयारण्य के महत्व और उपयोगिता को रेखांकित करते हुए नियमित रूप से प्रकृति शिक्षा तथा पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाएगा।

4. **निगरानी समिति -**

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी के लिए नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती हैं;

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट निगरानी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे; अर्थात् :-

(क) कलक्टर, कच्छ - अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

- (ग) पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जिसे भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;
- (घ) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कच्छ - सदस्य;
- (ङ.) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाएं - सदस्य;
- (च) वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (छ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य
- (ज) उप वन संरक्षक, (अभयारण्य का भारसाधक) कच्छ - सदस्य सचिव
- (3) निगरानी समिति की शक्तियां और कृत्य इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बन्धित होंगे।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित है, निगरानी समिति उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों को पूर्व अनापत्तियों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी।
- (5) निगरानी समिति, संबंधित विभागों या संगठनों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को, मुद्दे-दर-मुद्दे आधारित अपेक्षाओं के आधार पर निर्भर रहते हुए विचार-विमर्शों में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

196461/12-2


- (6) निगरानी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों का अननुपालन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (7) निगरानी समिति, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय पर निगरानी समिति को ऐसे निर्देश देगा, जो वह निगरानी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

उपाबंध-I


[पैरा 1(ड) देखें]

नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य और नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील ज़ोन का मानचित्र और सीमा के भूमंडलीय स्थितीय प्रणाली बिन्दु

नारायण सरोवर अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन



टिप्पण :
 यह रेखा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन उपदर्शित करती है
 यह रेखा अभयारण्य की सीमा उपदर्शित करती है



टिप्पण :

यह रेखा पारिस्थितिकी नाजुक जोन की सीमा उपदर्शित करती है । (बिंदु सं. 1-68)

यह रेखा अभयारण्य की सीमा उपदर्शित करती है (बिंदु सं. 69-160)

नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य और नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा के भूमंडलीय स्थितीय प्रणाली बिंदु

35	X=483108.0787	Y=2602836.8844	103	X=454740.8193	Y=2602022.4278
36	X=480324.6162	Y=2603929.8863	104	X=454642.0803	Y=2600138.3930
37	X=478157.6086	Y=2602637.8448	105	X=453052.1413	Y=2599891.7839
38	X=477504.7231	Y=2601681.5973	106	X=453032.2743	Y=2598081.5509
39	X=475250.9830	Y=2601258.3758	107	X=453080.5515	Y=2598579.4862
40	X=472723.3712	Y=2602502.7701	108	X=452115.2240	Y=2596408.3352
41	X=471263.2697	Y=2602245.3100	109	X=449588.3958	Y=2596705.8893
42	X=469893.0413	Y=2603473.5731	110	X=448588.3941	Y=25965574.7859
43	X=467048.5056	Y=2604177.7878	111	X=448484.6075	Y=26005574.7859
44	X=465241.9090	Y=2606088.3866	112	X=448484.6075	Y=26005574.7859
45	X=461715.0616	Y=2605714.0295	113	X=448484.6075	Y=26005574.7859
46	X=460859.4299	Y=2603648.4341	114	X=450424.0449	Y=2611412.8535
47			115	X=450480.9801	Y=2613512.5444
48	X=460577.9238	Y=2601653.2951	116	X=451376.8401	Y=2613848.4944
49	X=459167.5424	Y=2600485.8881	117	X=451665.2810	Y=2616148.8144
50	X=458568.1460	Y=2600387.8055	118	X=453618.1872	Y=2616424.9160
51	X=456464.9194	Y=2599882.9093	119	X=453618.1872	Y=2616424.9160
52	X=456641.5251	Y=2597123.1544	120	X=460019.3362	Y=2620379.5880
53	X=459393.5523	Y=2596181.8062	121	X=459341.6889	Y=2620379.5880
54	X=455685.8732	Y=2595156.1818	122	X=460346.6261	Y=2613098.4528
55	X=452153.9040	Y=2593333.3269	123	X=461966.9871	Y=2619224.2771
56	X=451353.6458	Y=2592792.1022	124	X=462137.5503	Y=2619896.3598
57	X=450683.7038	Y=2592895.0914	125	X=463416.7828	Y=2619880.8721
58	X=448827.0970	Y=2591972.0051	126	X=463511.5599	Y=2618194.4305
59	X=444642.4840	Y=2591632.3022	127	X=463239.9381	Y=2616404.3397
60	X=444934.3304	Y=2615563.9798	128	X=467883.6806	Y=2614302.2213
61	X=446188.2550	Y=2617838.7576	129	X=469336.6457	Y=2612885.9628
62	X=447946.5328	Y=2618832.5865	130	X=469774.2234	Y=2613848.1637
63	X=449689.2861	Y=2618548.6427	131	X=469706.9037	Y=2616288.8210
64	X=454899.6758	Y=2622489.0927	132	X=468612.9585	Y=2618758.7135
65	X=456382.7792	Y=2623470.6596	133	X=469824.7141	Y=2619111.8696
66	X=456387.1433	Y=2621393.4081	134	X=471830.6224	Y=2615183.0168
67	X=460933.3578	Y=2619876.7114	135	X=473159.4298	Y=2615037.7913
68	X=461526.9076	Y=2620074.0914	136	X=475402.5118	Y=2616102.8179
69			137	X=478635.8578	Y=2614214.6077
70			138	X=479586.5507	Y=2616130.6977
71			139	X=481602.4835	Y=2617766.3863
72			140	X=483765.8814	Y=2617620.8936
73			141	X=485175.3806	Y=2616359.9735
74			142	X=487666.5907	Y=2618341.5769
75			143	X=487863.2649	Y=2618145.0547
76			144	X=487043.7882	Y=2615934.1745
77			145	X=485781.7941	Y=2613412.1343
78			146		
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					

उपाबंध-II
[(पैरा 1(ड) देखें)]

नारायण सरोवर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के क्षेत्रों के भीतर आने वाले गांवों की सूची

क. तालुका अब्दासा

होथियाई, गोले

ख. तालुका लखपत

शेह, कईयारी, नरेदी, पनानधारो, खानोट, अंकारी, धारेशी, नानी-विरानी, दयापार, अमिया, माता ना मठ, असाल्दी, सुजावरी-वन्ध, रावेश्वर, खड़क, नानी सरन, खरौदा, चक्री, बारान्दा, नरेदा, बुधा, लक्ष्मीरानी, भाजपार, रतिपल, समुद्र-तट, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, धुने ।

ग. तालुका नखत राना

पनेली

नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए क्षेत्र

क्र.सं.	गांवों का नाम	तालुका	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			सीमाएं
				वन क्षेत्र	गैर-वन क्षेत्र	कुल क्षेत्र	
1	शेह	लखपत	37	0	70	70	उत्तर : शेह का आंशिक भाग कईयारी, नरेदी, पनानधारो, खानोट, अंकारी, धारेशी गांव
2	कईयारी	लखपत	15,16,27,29,30,32,34	215.00	115.00	330.00	
3	नरेदी	लखपत	38	75.00	660.00	735.00	
4	पनानधारो	लखपत	255	750.00	1000.00	1750.00	
5	खानोट	लखपत	51	0.00	296.00	296.00	
6	अंकारी	लखपत	46	157.00	0.00	157.00	
7	धारेशी	लखपत	189	0.00	170.00	170.00	
8	नानी-विरानी	लखपत	271	0.00	125.00	125.00	पूर्व : नानी-विरानी का आंशिक भाग दयापार, अमिया और पनेली
9	दयापार	लखपत	569	0.00	760.00	760.00	
10	अमिया	लखपत	170	0.00	80.00	80.00	
11	पनेली	नखतराना	258	0.00	345.00	345.00	
12	माता ना मठ	लखपत	189	0.00	250.00	250.00	दक्षिण : माता ना मठ का आंशिक भाग असाल्दी, सुजावरी-वन्ध, रावेश्वर, खड़क, नानी सरन, चक्री, खरौदा, बारान्दा, नरेदा, लक्ष्मीरानी, लखपत तालुका का जड़वा और होथियाई, अब्दासा तालुका का गोले
13	असाल्दी	लखपत	40	125.00	550.00	675.00	
14	सुजावरी-वन्ध	लखपत	14	170.00	160.00	330.00	
15	रावेश्वर	लखपत	5	600.00	100.00	700.00	
16	खड़क	लखपत	29	175.00	950.00	1125.00	
17	नानी सरन	लखपत	39/1	0.00	500.00	500.00	
18	खरौदा	लखपत	टी.एस.सं.	0.00	120.00	120.00	
19	चक्री	लखपत	41	475.00	800.00	1275.00	
20	बारान्दा	लखपत	133	400.00	1350.00	1750.00	
21	नरेदा	लखपत	23	400.00	475.00	875.00	

22	बुधा	लखपत	88	0.00	1521.00	1521.00	
23	लक्ष्मीरानी	लखपत	31	780.00	908.00	1688.00	
24	भापर	लखपत	7	266.00	0.00	266.00	
25	रतिपल	लखपत	1	1475.00	0.00	1475.00	
26	होथियाइ	अब्दासा	101 से 120	0.00	1197.00	1197.00	
27	गोले	अब्दासा	81,83 से 91,94 से 97,99,100,108,109,114 से 136	600.00	400.00	1000.00	
28	समुद्र-तट	लखपत	कच्छ वनस्पति वन	1600.00	0.00	1600.00	
29	नारायण सरोवर	लखपत	7	10.00	899.00	909.00	
30	कोटेश्वर	लखपत	2	0.00	256.00	256.00	
31	धुने	लखपत	2	258.00	0.00	258.00	
			कुल	8531.00	14057.00	22588.00	

उपाबंध-III
(पैरा 3 देखें)

नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन	हां			एसएलपी 13658/1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 7.5.2010 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार 'नारायण सरोवर चिकारा अभयारण्य' की बाह्य सीमा से 3 किमी. की परिधि में कोई खनन प्रचालन अनुज्ञात नहीं होगा।
2.	वृक्षों की कटाई		हां		समुचित प्राधिकारी की अनुज्ञा से
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां			
4.	प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)	हां			

5.	होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना		हां		अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार जो पर्यावास का ध्यान रखता है और वहां वन्यजीव की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग		हां		होटलों तथा अन्य संबंधित व्यवसाय की स्थापना के लिए
7.	कृषि प्रणालियों का तीव्र परिवर्तन		हां		
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन, जिसमें भू-जल संचयन सम्मिलित हैं		हां		होटलों तथा अन्य व्यवसाय स्थापना के लिए
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना		हां		
10.	विद्युत कैबलों का उत्पादन			हां	भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाएं			हां	तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार को मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए
12.	वर्षा जल संचयन			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए
13.	होटल और लॉज परिसर में बाड़ लगाना		हां		
14.	जैविक खेती			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए
15.	दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन बैगों का प्रयोग		हां		
16.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए
17.	सड़कों को चौड़ा करना			हां	इसे समुचित ईआईए तथा उपशमन उपायों के अनुसार किया जाना चाहिए।
18.	रात में यानीय यातायात			हां	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए
19.	विदेशी प्रजातियों का लाया जाना		हां		

20.	किसी भी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां			
21.	पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि नेशनल पार्क से ऊपर से एयरक्राफ्ट और गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ान	हां			
22.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों की सुरक्षा		हां		मास्टर प्लान के अनुसार
23.	प्राकृतिक जल निकासों या स्थलीय क्षेत्रों में बहिस्सार्थों और ठोस अपशिष्ट का विसर्जन	हां			
24.	हवा और यानीय प्रदूषण		हां		
25.	साइन बोर्ड और होर्डिंग		हां		
26.	सभी कार्यकलापों हेतु हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए

[फा. सं. 25/4/2012-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2012

S.O. 1257(E).—Whereas, the Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary falls under a separate biotic province of the country and represents a distinct gene pool of Indian arid region which posses abundant grass land, coastal areas with dense patches of mangrove forests, partial wetland due to the coast line and around 45 lentic wetlands of varying sizes and it provides home to many rare and threatened species like Chinkara, Caracal, Wolf, Leopard, Spiny-tailed Lizard, Desert Cat, Great Indian Bustard, Lesser Florican, Houbara Bustard, etc.;

And whereas, the sanctuary area is relatively very rich in minerals, the major minerals being Lime Stone, Lignite, Bentonite and Bauxite;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

And whereas, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1265(E), dated the 1st June, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

196461/12-3

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 1st June, 2011;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area upto 2.5 kilometer from the boundary of the protected area of Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary, enclosed within the boundary described below in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone):-

1. Boundaries of Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone. --

- (a) Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary is located in the Western most part of the country, lies between Latitudes 23°27' N to 23°42' N and Longitudes 68°30' E to 68°57' E; administratively, the sanctuary is located within the Lakhpat Taluka of Kachchh district of Gujarat State; the Kori-creek surrounds the sanctuary on the North West and mangrove forests on the West and no prominent land features are observed on Eastern, Northern and Southern sides.
- (b) Eco-sensitive Zone covers a peripheral area of about 22588.00 hectare which includes 28 villages of Lakhpat Taluka, District Kutch and one village of Nakhatrana Taluka, District Kutch and two villages of Abdasa Taluka, District Kutch. Out of the 22588 hectare area, an area of 8531.00 hectare is forest land and 14057.00 hectare is non-forest land.
- (c) The range of radius of the Eco-sensitive zone is 0-2.5 kilometers on all sides and mean distance is 1.5 kilometers surrounding the Protected Area.
- (d) The Eco-Sensitive Zone is divided in two sub-zones within the buffer zone of 2.5 kilometers from the outer boundary of the sanctuary as follows:

Sub-Zone-A: The area within the buffer zone of 2.5 kilometer, where the drainage lines towards the sanctuary area and the rock is relatively pervious; thus, on the one hand, this sub-zone will be a part of the catchments' area for various water courses or water bodies in the sanctuary and, on the other hand due to the relatively pervious nature of rock, water borne pollutants will have more effect on the ground water.

Sub-Zone-B: The area where the drainage lines travel outwardly away from the sanctuary area, moreover, the rocks in this area are relatively impervious.

- (e) The map and boundary Global Positioning System points of Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary and Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone is appended with this notification as **Annexure I** and the list of the villages falling within Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone. --

1. A Zonal Master Plan for the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the law relating to town and country planning for

- (2) **Quarrying and Mining:** No mining and crushing shall be allowed within the radius of 3 kilometers from the outer boundary of the Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary, as per the directions of Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010 in SLP 13658/1996.
- (3) **Trees:** Felling of trees on forest should be as per the Working Plan or Management Plan approved by the Competent Authority and the felling of trees on private or revenue lands may be allowed in accordance with the State regulations.
- (4) **Tourism:** Tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan which shall emphasize on ecotourism, eco-education and eco-development and be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Department of Environment and Forest and shall be a component of the Zonal Master Plan.
- (5) **Ground Water:** Extraction of ground water for bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of land shall be allowed.
- (b) Extraction of ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the State Ground Water Board.
- (c) Appropriate steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water, including from agriculture activities.
- (6) **Use of Plastics:** No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive zone area and the disposal of plastic articles shall be strictly regulated.
- (7) **Noise pollution:** The Environment Department or the State Forest Department, Gujarat shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.
- (8) **Discharge of effluents:** No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body or on land within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- (9) **Solid Wastes:** (a) The solid waste disposal shall be carried out in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000, as amended from time to time.
- (b) (i) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and
- (iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Natural Springs:** The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

the time being in force in the State, the divisional working plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of two years from the date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

2. The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Gujarat State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.
3. The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
4. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
5. No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture, parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan. However, to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population, strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted, with the prior approval of the State Government.
6. All the human habitation areas with populations of 5000 and above shall have Area Development Plan and be prepared under the guidance of local self Government.
7. Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions and other developmental activities shall be referred to the Ministry of Environment and Forests by the Monitoring Committee as per sub-para (4) of paragraph 4 of the notification.
8. There shall be no consequential reduction in Green area such as forest area, agricultural area, etc. and the unused or unproductive agricultural areas may be re-forested.
9. The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken by them.
10. The Central Government and the State Government may specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

3. Prohibited, regulated and permitted activities in Eco-sensitive Zone -

All activities in the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with **Annexure III** to this notification.

- (1) **Industrial Units:** (a) On or after the publication of this notification in the official gazette, no new industrial development within 500 meter of the periphery of the Sanctuary shall be allowed;
- (b) no polluting industries shall be allowed within the eco-sensitive zone, only non-polluting industries beyond the 500 meters periphery in the eco-fragile area shall be considered with the provision of a minimum of 50 meters wide green belt;
- (c) where the eco-fragile zone is limited to less than 2.5 kilometer; the industry, if permitted, must ensure safe guards including 50 meters wide monitoring strip and 200 meters wide greenbelt and 250 meters wide no activity zone shall be maintained in the 500 meters eco-fragile zone.

(11) Awareness: The state Environment and Forests Department shall regularly carry out nature education and environmental awareness campaigns in each village falling in Eco-sensitive Zone, highlighting the importance and usefulness of the Wildlife Sanctuary.

4. Monitoring Committee. —

- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.
- (2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of not more than ten members who shall represent the following, namely:-
 - (a) Collector, Kutch – Chairman;
 - (b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
 - (c) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of India – Member;
 - (d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Kutch – Member;
 - (e) Senior Town Planner of the area – Member;
 - (f) a representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat – Member;
 - (g) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
 - (h) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Kutch – Member Secretary.
- (3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.
- (4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer all such matters to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior clearances under the provisions of the said notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Chairman or the Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.
- (7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in Ministry of Environment and Forests.
- (8) The Central Government in Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.


ANNEXURE - I

[See paragraph 1(c)]


Map and boundary Global Positioning System points of Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary and Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone.

196461/12-4

ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NARAYAN SAROVAR SANCTUARY



NOTE:
 THIS LINE INDICATE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE
 THIS LINE INDICATE BOUNDARY OF SANCTUARY



NOTE

1 — THIS LINE INDICATE BOUNDARY OF ECO FRAZILE ZONE (POINT NO.1-68)

2 — THIS LINE INDICATE BOUNDARY OF SANCTUARY (POINT NO.69-160)

Global Positioning System points on the boundary of Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary and Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone

0	X=461715.0616	Y=2605714.0295	147	X=468535.7126	Y=2613215.6122
1	X=460859.4299	Y=26039646.4341	148	X=466207.9225	Y=2611821.8383
2	X=460577.9238	Y=2601653.2951	149	X=466986.2611	Y=2611446.9088
3	X=459167.5424	Y=2600485.8081	150	X=462727.1049	Y=2612133.5342
4	X=458568.1460	Y=2600387.8055	151	X=463865.1789	Y=2611131.5402
5	X=456464.9194	Y=2598882.9093	152	X=463198.1410	Y=2610501.2533
6	X=456684.1525	Y=2597123.1544	153	X=462549.1957	Y=2610711.3489
7	X=455393.5523	Y=2595181.8062	154	X=460883.3065	Y=2609822.4842
8	X=455685.8732	Y=2595185.1918	155	X=460656.8748	Y=2609891.2959
9	X=452153.9040	Y=2593333.3269	156	X=462251.9448	Y=2609835.0247
10	X=451353.6458	Y=2592792.1022	157	X=467773.0730	Y=2609519.0235
11	X=450693.7038	Y=2592895.0914	158	X=467902.7670	Y=2609811.8631
12	X=446627.0970	Y=2591972.0051	159	X=469866.3486	Y=2607541.3704
13	X=444642.4840	Y=2591632.3022	160	X=462180.7238	Y=2605957.6461
14	X=444732.0673	Y=2604567.2152			
15	X=444732.0673	Y=2615563.9799			
16	X=444934.3304	Y=2615563.9799			
17	X=446186.5250	Y=2617938.7576			
18	X=447948.5328	Y=2618832.5865			
19	X=448689.2961	Y=2618548.6427			
20	X=454899.6758	Y=2622468.0992			
21	X=456392.7792	Y=2623470.6596			
22	X=458387.1433	Y=2621393.4081			
23	X=460933.3378	Y=2619976.7114			
24	X=461526.9076	Y=2620074.0914			
25	X=463108.0767	Y=2602936.9844			
26	X=460324.6162	Y=2603929.6863			
27	X=478157.6086	Y=2602637.5448			
28	X=477504.7231	Y=2601681.5973			
29	X=475250.9830	Y=2601258.5758			
30	X=472723.3712	Y=2602502.7701			
31	X=471263.2697	Y=2602245.3100			
32	X=469893.0413	Y=2603473.5731			
33	X=467048.5056	Y=2604177.7978			
34	X=465241.9090	Y=2606088.3866			
35	X=461715.0616	Y=2605714.0295			
36	X=464483.7648	Y=2620885.4033			
37	X=464606.7082	Y=2618544.0580			
38	X=466748.0102	Y=2616609.0857			
39	X=466532.9599	Y=2614467.3668			
40	X=469040.4537	Y=2615316.3887			
41	X=467579.2408	Y=2618799.6996			
42	X=470099.2584	Y=2620156.8494			
43	X=471776.3978	Y=2617060.4094			
44	X=472595.2777	Y=2616277.5789			
45	X=474748.9493	Y=2618993.3550			
46	X=476083.8832	Y=2618917.6436			
47	X=476080.3426	Y=2615720.4231			
48	X=478796.5782	Y=2617387.4339			
49	X=480918.3109	Y=2618892.4949			
50	X=483182.2463	Y=2618604.4636			
51	X=485014.8385	Y=2618036.5654			
52	X=485970.5387	Y=2618735.5395			
53	X=488837.1562	Y=2619396.0665			
54	X=488288.5430	Y=2616150.7442			
55	X=486617.3643	Y=2615003.1048			
56	X=487227.5075	Y=2612340.0166			
57	X=492003.9792	Y=2612731.8160			
58	X=493630.9784	Y=2612475.0474			
59	X=494532.0289	Y=2611261.9910			
60	X=494036.1286	Y=2610420.8219			
61	X=491844.0435	Y=2609154.2676			
62	X=492699.6752	Y=2608615.2530			
63	X=492903.6778	Y=260592.8928			
64	X=492045.5335	Y=2604090.8934			
65	X=492703.8273	Y=2602812.8235			
66	X=491834.3797	Y=2601625.2747			
67	X=489157.9456	Y=2601603.5294			
68	X=484287.8318	Y=2602479.2831			
69	X=482008.8906	Y=2664879.9164			
70	X=480231.9683	Y=2605564.3798			
71	X=48688.4816	Y=2608616.9589			
72	X=48505.9114	Y=2604534.8754			
73	X=485123.9835	Y=2605337.0961			
74	X=490803.6840	Y=2605915.1023			
75	X=480134.8507	Y=2606862.7549			
76	X=477808.1566	Y=2605140.8125			
77	X=478537.5348	Y=2602330.0045			
78	X=475804.9548	Y=2602298.6990			
79	X=473681.2225	Y=2602619.5631			
80	X=474209.3946	Y=2604202.8620			
81	X=473042.8577	Y=2603193.4828			
82	X=473471.4611	Y=2607942.6579			
83	X=471093.7261	Y=2600307.8843			
84	X=468331.8275	Y=2604203.7340			
85	X=468470.8918	Y=2608358.1818			
86	X=467390.1498	Y=2608704.3174			
87	X=466840.1008	Y=2609389.5788			
88	X=465397.3714	Y=2608907.7540			
89	X=464904.1600	Y=2609960.8939			
90	X=464243.5939	Y=2610224.7406			
91	X=465982.8971	Y=2611965.4205			
92	X=465086.3817	Y=2612438.8283			
93	X=462582.5845	Y=2613673.2702			
94	X=461431.8307	Y=2612076.0661			
95	X=461497.7814	Y=2610122.3152			
96	X=462548.2187	Y=2608913.2863			
97	X=461581.9788	Y=2608927.7785			
98	X=460053.6728	Y=2610145.1340			
99	X=457895.1653	Y=2607128.7057			
100	X=457246.2454	Y=2604909.3622			
101	X=459849.0701	Y=2604394.5386			
102	X=457172.4596	Y=2603394.5386			
103	X=454740.8193	Y=2602022.4278			
104	X=454642.0603	Y=2600138.3930			
105	X=453932.2743	Y=2599891.7639			
106	X=453830.5315	Y=2599608.1509			
107	X=452115.2240	Y=2598251.7674			
108	X=451263.4812	Y=2598406.3352			
109	X=448586.3858	Y=2598708.8603			
110	X=448903.2113	Y=2598954.8975			
111	X=448566.2941	Y=2598708.8603			
112	X=448484.9075	Y=26059341.1989			
113	X=448811.1011	Y=2611412.8535			
114	X=450424.0449	Y=2613512.5444			
115	X=450480.0801	Y=2613848.4944			
116	X=451376.8401	Y=26148.6144			
117	X=451869.2810	Y=2616424.9180			
118	X=453618.1672	Y=2620379.5880			
119	X=456019.3352	Y=2620379.5880			
120	X=459341.9989	Y=2620379.5880			
121	X=460348.6261	Y=2619086.4526			
122	X=461868.8871	Y=2619224.2771			
123	X=462137.5503	Y=2619885.3568			
124	X=463418.7829	Y=2619980.6721			
125	X=463511.5598	Y=2616404.3397			
126	X=465239.9361	Y=2614302.2213			
127	X=467653.8506	Y=2612855.9628			
128	X=469338.6457	Y=2613848.1637			
129	X=469774.2234	Y=2616286.6210			
130	X=469706.9037	Y=2618758.7135			
131	X=468612.9585	Y=2618111.8698			
132	X=468924.7141	Y=2615037.7913			
133	X=471830.6224	Y=2615182.8179			
134	X=473159.4298	Y=2614214.6017			
135	X=475402.5118	Y=2616102.8179			
136	X=476635.9579	Y=2616130.8977			
137	X=479586.5507	Y=2617768.3863			
138	X=481602.4635	Y=2617620.9936			
139	X=483765.8814	Y=2616359.9735			
140	X=485175.3806	Y=2618341.5769			
141	X=487666.5907	Y=2618145.0547			
142	X=487863.2649	Y=2615934.1745			
143	X=487043.7882	Y=2615393.7376			
144	X=485798.1832	Y=2613412.1343			
145	X=485781.7941	Y=2613412.1343			

ANNEXURE - II
[See paragraph 1(e)]

List of villages falling within the areas of Narayan Sarovar Eco-sensitive Zone

A. Taluka Abdasa

Hothiyai, Golay

B. Taluka Lakapat

Sheh, Kaiyari, Naredi, Panandharo, Khanot, Akari, Dhareshi, Nani-Virani, Dayapar, Amiya, Mata na Madh, Asaldi, Sujawari-vandh, Raweshwar, Khadak, Nani saran, Kharoda, Chakrai, Baranda, Nareda, Budha, Lakshirani, Bhajpar, Ratipal, Sea-Coast, Narayan-Sarovar, Koteswar, Dhunay.

C. Taluka Nakhat Rana

Paneli

Areas for proposed Eco-Sensitive Zone for Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Name of Village	Taluka	Survey No.	Area (in ha)			Boundaries
				Forests area	Non-forests area	Total area	
1	Sheh	Lakhapat	37	0	70	70	North : Part area of Sheh, Kaiyari, Naredi, Panandharo, Khanot, Akari, Dhareshi villages
2	Kaiyari	"	15,16,27,29,30,32,34	215.00	115.00	330.00	
3	Naredi	"	38	75.00	660.00	735.00	
4	Panandharo	"	255	750.00	1000.00	1750.00	
5	Khanot	"	51	0.00	296.00	296.00	
6	Akari	"	46	157.00	0.00	157.00	
7	Dhareshi	"	189	0.00	170.00	170.00	
8	Nani Virani	"	271	0.00	125.00	125.00	East : Part area of Nani Virani, Dayapar, Amiya and Paneli
9	Dayapar	"	569	0.00	760.00	760.00	
10	Amiya	"	170	0.00	80.00	80.00	
11	Paneli	Nakhatrana	258	0.00	345.00	345.00	South : Part area of Matana Madh, Asaldi, Sujawari vandh, Raweshwar, Khadak, Nani Saran, Chakri, Kharoda, Baranda, Naredo, Laxmirani, Jadva of Lakhpat taluka and Hothiyai, Golay of Abdasa taluka
12	Matana Madh	Lakhapat	189	0.00	250.00	250.00	
13	Asaldi	"	40	125.00	550.00	675.00	
14	Sujawari vandh	"	14	170.00	160.00	330.00	
15	Raweshwar	"	5	600.00	100.00	700.00	
16	Khadak	"	29	175.00	950.00	1125.00	
17	Nani saran	"	39/1	0.00	500.00	500.00	
18	Kharoda	"	T.S.No.	0.00	120.00	120.00	
19	Chakrai	"	41	475.00	800.00	1275.00	
20	Baranda	"	133	400.00	1350.00	1750.00	
21	Nareda	"	23	400.00	475.00	875.00	
22	Budha	"	88	0.00	1521.00	1521.00	
23	Laxmirani	"	31	780.00	908.00	1688.00	
24	Bhajar	"	7	266.00	0.00	266.00	

25	Ratipal	" "	1	1475.00	0.00	1475.00	West : Boundary of west mangrove, Narayan Sarovar, Koteswar and Dhunay
26	Hothiyai	Abdasa	101 to 120	0.00	1197.00	1197.00	
27	Golay	" "	81,83 to 91, 94 to 97, 99,100, 108, 109, 114, to 136	600.00	400.00	1000.00	
28	Sea-Coast	Lakhapat	Mangrove forests	1600.00	0.00	1600.00	
29	Narayan Sarovar	" "	7	10.00	899.00	909.00	
30	Koteswar	" "	2	0.00	256.00	256.00	
31	Dhunay	" "	2	258.00	0.00	258.00	
			Total	8531.00	14057.00	22588.00	

Annexure III

[See paragraph 3]

Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-Sensitive Zone around Narayan Sarovar Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining	Yes			As per the direction of the Hon'ble Supreme Court vide order dated 07.05.2010 in SLP No.13658 of 1996, there shall not be any mining operations within the radius of 3kilometers from the outer boundary of the 'Narayan Sarovar Chinkara Sanctuary'.
2.	Felling of trees		Yes		With permission from appropriate authority
3.	Setting of saw mills	Yes			
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	Yes			
5.	Establishment of hotels and resorts		Yes		As per approved master plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals

6.	Commercial use of firewood	Yes			For hotels and other business related establishment
7.	Drastic change of agriculture systems		Yes		*
8.	Commercial water resources including ground water harvesting	Yes			For hotels and other business related establishment
9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes			
10.	Erection of electrical cables		Yes		Promote underground cabling
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities			Yes	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan
12.	Rain Water harvesting			Yes	Should be actively promoted
13.	Fencing of premises of hotels and lodge	Yes			
14.	Organic farming			Yes	Should be actively promoted
15.	Use of polythene bags by shopkeepers	Yes			
16.	Use of renewable energy source			Yes	Should be actively promoted
17.	Widening of roads		Yes		This should be done with proper EIA and mitigation measures
18.	Movement of vehicular traffic at night		Yes		For commercial purpose
19.	Introduction of exotic species	Yes			
20.	Use or production of any hazardous substances	Yes			

	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons	Yes			
22.	Protection of hill slopes and river banks		Yes		As per master plan
23.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes			
24.	Air and vehicular pollution		Yes		
25.	Sign boards & hoardings		Yes		
26.	Adoption of green technology for all activities			Yes	Should be actively promoted

[F. No. 25/4/2012-ESZ/RE]

Dr. G.V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'